

हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
सामान्य सेवाएँ
अधिसूचना
दिनांक 28 जुलाई, 1998

संख्या सा० का० नि० 84/सवि०अनु० 309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएँ, अधिसूचना संख्या 523-3 जी० एस०-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएँ, अधिसूचना संख्या 523-3 जी० एस० 70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, पैरा 6 में, उप पैरा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा, रखा जायेगा और जनवरी, 1970 के अठाईसवें दिन से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

“(घ) राज्य सरकार के अधीन ग्रुप ग और ग्रुप घ के पदों पर भर्ती के ढंग और नियुक्तियाँ करने में अपनाये जाने वाले सिद्धांत। आयोग चयन के ढंग की युक्ति तथा ऐसे पदों के चयन के लिये माप-दण्ड, जो वह उचित समझे, नियत करेगा, जिसके लिये विभाग या कार्यालय द्वारा उसको भाग पत्र भेजा जाता है और बोर्ड/आयोग द्वारा पदों के चयन हेतु पूर्वतर नियत मापदण्ड इस उप पैरा के अधीन नियत किया गया समझा जायेगा; और”।

राम एस० वर्मा
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
GENERAL SERVICES

Notification

The 28th July, 1998

No. G.S.R. 84/Const.Art. 309/98.—In exercise of powers conferred by article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department, General Services, notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, namely:—

AMENDMENT

In the Haryana Government, General Administration Department, General Services notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, in paragraph 6, for sub-paragraph (d), the following sub-paragraph shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the twenty eighth day of January, 1970, namely :—

“(d) Methods of recruitment and the principles to be followed in making appointments to the Group C and Group D posts under the State Government. The Commission shall devise the mode of selection and fix the criteria for selection of posts for which a requisition is sent to it by a Department or a office, as it may deem appropriate and the criteria for the selection of posts fixed earlier by the Board/Commission shall be deemed to have been fixed under this sub-paragraph; and”.

RAM S. VARMA,
Chief Secretary to Government, Haryana.